बिहार सरकार

समाहरणालय, गोपालगंज।

(जिला पशुपालन कार्यालय गोपालगंज।)

निविदा संख्या – 01

उत्पादक/भडारकर्ता/उप भंडारकर्ता/पजीकृत थोक विक्रेता से ब्राढ़/सुखाड़ कार्य के लिए गेहूँ का भूसा, पुआल की कुटटी, दलहन की चुन्नी एवं गेहूँ का चोकर का सील बंद निविदा गोपालगंज जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2018–19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15.05.2018 शाम 5:00 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय, गोपालगंज में प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकरी, गोपालगंज की अध्यक्षाता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा अगले दिन 16.05.2018 को 11:00 बजे पूर्वाहन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के सूचना पटट् एव जिला तथा विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 5000/–(पॉच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो गोपालगंज शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।

21.4.18

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

निविदा की शर्ते निम्न है:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का चोकर, गेहूँ का भूसा, पुआल की कुटटी एवं चुन्नी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रूपये 5000/–का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के पदनाम से एवं गोपालगंज में देय होगा। असफल निविदादाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. सामग्री का नमूना 200 gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो उसपर नाम, पत्ता, एवं मोबाईल नं0 अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि कय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी का दर अलग–अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति गोपालगंज जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्ते तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
11. सभी अंचलों में निर्देशित स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है
13. शर्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमितता, गुणवता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
14. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
15. कोई भी विवाद गोपालगंज न्यायालय के दायरे में होगा।
16. चोकर/गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी के गुणवता में संदेह होने पर गुणवता जॉच कराई जा सकती है।
17. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा दिया जायेगा, जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
18. भूसा/पुआल/चोकर/चुन्नी में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नही होगी।
19. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।

कमांक	सामग्री	गुणवता
1	गेहूँ का भूसा	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
2	पुआल की कुटटी	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
3	चोकर (गेहूँ)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
4	चुन्नी (दलहन)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित

21.07.17

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।